<u>न्यायालय जिला न्यायाधीश, बून्दी (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **संदीप कुमार शर्मा,** आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

इजराय प्रकरण संख्या सं. : **44/2024**

महावीर प्रसाद शर्मा **बनाम** जिला कलक्टर व अन्य

<u>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश-21 नियम-97 एवं धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता</u>

<u>उपस्थित-</u>

1. श्री कपिल सैनी, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से।
2. श्री अभयदेव शर्मा, डिक्रीदारान के विद्वान अधिवक्ता,

<u>आ दे श</u> **<u>दिनांक 26.05.2026</u>**

1. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से दिनांक 19.05.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-21 नियम-97 एवं धारा-47 सिविल प्रक्रिया संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से अपने उक्त प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि उक्त इजराय प्रकरण संख्या 44/2024 से सम्बन्धित रेफरेंस में प्रार्थी महावीर प्रसाद शर्मा व अन्य ने रेफरेंस शीर्षक में अप्रार्थी संख्या 01 के रूप में जिला कलक्टर एवं भूमि अवासि अधिकारी सार्वजिनक निर्माण विभाग वृत्त सवाईमाधोपुर के रूप में अंकित किया है जबकि जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर का अलग पद है एवं भूमि अवासि अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग का अलग पद है, जिनका एक-दूसरे से आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु रेफरेंसकर्ता द्वारा दोनों अधिकारियों एवं विभागों को क्लब करके एक ही नाम से गलत पक्षकार बनाया गया है। रेफरेंसकर्ताओं द्वारा अपने रेफरेंस में जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के विरूद्ध न तो कोई रिलीफ मांगा गया है और न ही न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के विरूद्ध किसी तरह का

Authenticated Document

कोई अनुतोष दिया गया है। भूमि अवाप्ति अधिकारी वृत्त सवाईमाधोपुर द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उक्त विवादित जमीन को अवाप्त किया गया एवं उसका अवार्ड तैयार कर उसे रिडकोर को दे दिया गया। सम्बन्धित रोड एवं टोल प्लाजा का निर्माण रिडकोर द्वारा ही किया गया और उसी के द्वारा टोल की वसूली की जाती है, इसलिए भी सम्पूर्ण अवार्ड राशि की अदायगी की जिम्मेदारी रिडकोर पर ही आयत होती है। इस रेफरेंस से सम्बन्धित निर्णय दिनांक 18.10.2023 से स्पष्ट है कि न तो उक्त प्रकरण में आपत्तिकर्ता जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के विरूद्ध कोई विवाद्यक बनाये गये हैं और न ही उसके विरूद्ध तय किये गये हैं, ऐसी स्थिति जब विवाद्यक प्रार्थी/आपत्तिकर्ता के विरूद्ध बने ही नही और न ही तय किये गये तब भी उसके विरूद्ध इजराय एवं वसूली की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रकरण मुख्य रूप से रिडकोर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाईमाधोपुर (केम्प ऑफिस इन्द्रगढ़ जिला बून्दी) से सम्बन्धित है। उक्त अवाप्तिशुदा भूमि कस्बा इन्द्रगढ जिला बून्दी के अन्तर्गत आती है तथा उक्त भूमि अवाप्ति से लेकर वर्तमान अवाप्ति भूमि का क्षेत्र जिला कलक्टर बून्दी की सीमान्तर्गत आता है इसलिए उक्त रेफरेंस जिला न्यायालय बून्दी में विचारित था, सवाईमाधोपुर जिले से इसका कोई लेना-देना नहीं है। अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का भुगतान रिडकोर द्वारा ही किया जाना है इसलिए उसके विरूद्ध ही प्रभावी रूप से वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। राज्य सरकार के राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 01(51) राजस्व-06/2014/31 दिनांक 28.08.2015 द्वारा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को भूमि अवाप्ति अधिकारियों की शक्तियों से सशक्त किया है इसलिए इस प्रकरण से सम्बन्धित भूमि अवाप्ति अधिकारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भूमि अवाप्ति अधिकारी केम्प ऑफिस इन्द्रगढ़-बून्दी के अधीन है। प्रस्तुत विवाद बाबत् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रभावित पक्षकार रिडकोर द्वारा रिट

Authenticated Document

पिटीशन प्रस्तुत की हुई है एवं भूमि अवासि अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग सर्किल सवाईमाधोपुर (केम्प ऑफिस इन्द्रगढ़-बून्दी, राजस्थान) मार्फत अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बून्दी द्वारा भी अपील प्रस्तुत की हुई है, जिन पर किसी प्रभावी आदेश के बिना आपत्तिकर्ता जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इजराय एवं वसूली की कार्यवाही किया जाना न्यायासंगत नहीं है। अन्त में आपत्तिकर्ता जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के विरूद्ध की जा रही इजराय एवं वसूली की कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

3. दिनांक 19.05.2026 को डिक्रीदारान की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया कि न्यायालय द्वारा जिन ऋणियों के विरूद्ध डिक्री जारी की गई है, उन्हीं निर्णीत ऋणियों के विरूद्ध डिक्रीदारान द्वारा डिक्री के निष्पादन का आवेदन पत्र पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा जिला कलक्टर एवं भूमि अवासि अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाईमाधोपुर एवं रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी राजस्थान लिमिटेड जयपुर (रिडकोर) के विरूद्ध मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया गया है, जिसे अदा करने का दोनों निर्णीत ऋणियों का विधिक उत्तरदायित्व है। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही रेफरेंस का निर्णय करते हुए अवार्ड पारित किया गया है। डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही की स्टेज पर विवाद्यक का उल्लेख करना सारहीन व विधि विरूद्ध है। निर्णीत ऋणियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किसी भी रिट पर सुनवाई के दौरान पारित की गई डिक्री के निष्पादन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। विशेष आपत्तियों में व्यक्त किया कि उक्त इजराय में तहसीलदार सवाईमाधोपुर पक्षकार नहीं होने से उसके द्वारा कोई भी प्रार्थना पत्र न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना पेश नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकरण में जिला कलक्टर एवं भूमि अवासि अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग सवाईमाधोपुर एवं रोड

Authenticated Document

इन्फ्रास्क्ट्रक्चर डवलपमेंट कम्पनी राजस्थान लिमिटेड जयपुर (रिडकोर) के विरूद्ध वारण्ट कुर्की जारी किया हुआ है, जिसकी पालना विलम्बित करने के आशय से मदयूनान ने अवैधानिक व अनाधिकृत रूप से तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है, जो भारी कॉस्ट पर खारिज होने योग्य है। मदयून संख्या 01 को अपनी ओर से किसी निजी वकील को पैरवी के लिए नियुक्त करने का कोई कानूनन अधिकार नहीं है, तहसीलदार सवाईमाधोपुर को वकालतनामे व प्रार्थना पत्र आदि पर हस्ताक्षर करने का कोई अधिकार नहीं है। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के पत्र क्रमांक विधि/2026/938 दिनांक 15.05.2026 पर जिला कलक्टर के हस्ताक्षर नहीं है, सिर्फ अतिरिक्त जिला कलक्टर के डिजीटल ई-हस्ताक्षर है तथा पत्र क्रमांक विधि/2026/896 दिनांक 15.05.2026 पर जिला कलक्टर के हस्ताक्षर नहीं है, सिर्फ डिजीटल हस्ताक्षर हैं। अन्त में उक्त प्रार्थना पत्र भारी कॉस्ट पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

4. प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से अपनी मौखिक बहस के दौरान प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये आपत्तिकर्ता जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के विरूद्ध की जा रही इजराय एवं वसूली की कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6. जबकि इसके विपरीत डिक्रीदारान के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी मौखिक बहस के दौरान उक्त तर्को का प्रबल विरोध करते हुये जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुरूप प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इजराय की वसूली की कार्यवाही तथा वारण्ट एवं कुर्की की कार्यवाही को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

Authenticated Document

7. उभय-पक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2023 को प्रार्थीगण महावीर प्रसाद शर्मा व अन्य की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित अवार्ड दिनांक 16.09.2009 को संशोधित किया जाकर अधिनियम की धारा 25, 26, 27, 28 व 34 के तहत संशोधित अवार्ड पारित कर सम्पूर्ण राशि पर भूमि का कब्जा लिये जाने की दिनांक 22.08.2008 से न्यायालय में राशि जमा कराये जाने की दिनांक तक 09 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया था, जिसके क्रम में आदेश 21 नियम 11 के तहत डिक्री के निष्पादन के लिए यह इजराय प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जिसके विचारण के दौरान मदयून संख्या 02 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट प्रस्तुत किये जाने से इजराय की कार्यवाही में मदयून संख्या 02 के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वारण्ट कुर्की के आदेश पर रोक (स्थगन) लगाये जाने बाबत् आदेश प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं इजराय प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देशों के अनुक्रम में मदयून संख्या 02 का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2026 को इस न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। तदुपरान्त दिनांक 19.05.2026 को हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि पूर्व में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2023 के माध्यम से मदयून संख्या 01 व 02 के विरूद्ध संशोधित अवार्ड पारित किया जा चुका है, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का स्थगन दिया जाना नहीं बताया गया है, ऐसे में तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इजराय एवं वसूली की कार्यवाही को निरस्त करने के जो आधार लिये गये हैं, वह

Authenticated Document

महज इजराय की वसूली एवं कुर्की की कार्यवाही को विलम्बित करने के आशय से प्रस्तुत किया जाना ही परिलक्षित होता है।

8. यहां यह भी उल्लेख किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यह प्रकरण इस न्यायालय के लक्षित प्रकरणों में से एक है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इजराय प्रकरणों के शीघ्र निस्तारणा के निर्देश भी दिये गये हैं, वतर्मान में प्रकरण इंतजार वारण्ट के प्रक्रम पर नियत है, जिसका शीघ्र निस्तारण किया जाना भी अपेक्षित है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

9. फलतः प्रार्थी/आपत्तिकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र दिनांकित 19.05.2026 अन्तर्गत आदेश-21 नियम-97 एवं धारा 47 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(संदीप कुमार शर्मा)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

10. आदेश आज दिनांक 26 मई, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

Authenticated Document

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.26 14:00:07 IST